**भारत सरकार**
**पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 29**
**20/07/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

## आर्कटिक मामले के लिए नोडल मंत्रालय

**29. श्री ए.डी. सिंह:**

**क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) केंद्र सरकार में आर्कटिक मामले संबंधी नोडल मंत्रालय का नाम क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सशक्त आर्कटिक नीति समूह का एक अलग कार्यालय स्थापित करने सहित आर्कटिक मामलों पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार के लिए कोई कदम उठाया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या देश की आर्कटिक मामलों की एक समन्वयक नियुक्त करने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**पृथ्वी विज्ञान मंत्री**
**(किरेन रिजिजू)**

(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आर्कटिक मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है।

(ख) जी हां। सरकार ने आर्कटिक मामलों पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें एक अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह का गठन करना शामिल है।

(ग) आर्कटिक मामलों पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह (EAPG) के माध्यम से किया जा रहा है। अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह में अनेक हितधारक मंत्रालय शामिल हैं जिसकी बैठक अर्ध-वार्षिक आधार पर होती है। अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा किया जाता है और बैक-एंड समर्थन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

(घ) अधिकार प्राप्त आर्कटिक नीति समूह के अध्यक्ष होने के कारण पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव आर्कटिक मामलों के समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

******